



लोक सभा सचिवालय  
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध  
संसद भवन, नई दिल्ली  
LOK SABHA SECRETARIAT  
Press and Public Relations Wing  
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

**PRODUCTIVITY OF 17TH LOK SABHA HAS BEEN 97 PER CENT WHICH IS HIGHEST IN LAST 5 LOK SABHAS: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा की कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही है जो पछली 5 लोक सभाओं में सबसे अधिक है: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**A TOTAL OF 274 SITTINGS WERE HELD DURING 17TH LOK SABHA WHICH LASTED FOR 1354 HOURS: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा में कुल मिलाकर 274 बैठकें हुईं जो 1354 घंटे तक चली: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**IN THE 17TH LOK SABHA, HOUSE SAT LATE FOR MORE THAN 345 HOURS: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा में सदन ने नियत समय से 345 घंटे की अधिक अवधि तक बैठकर अपना कार्य किया: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**387 HOURS LOST TO DISRUPTION DURING 17TH LOK SABHA: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा में व्यवधान के कारण 387 घंटे का समय व्यर्थ हुआ: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**222 BILLS PASSED IN 17TH LOK SABHA: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा में 222 कानून पारित किये: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**202 BILLS INTRODUCED DURING 17TH LOK SABHA: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा के दौरान 202 वधेयक पुरःस्था पत कए गए: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**DURING SEVENTEENTH LOK SABHA, 540 OUT OF 543 MEMBERS PARTICIPATED IN DISCUSSIONS IN THE HOUSE: LOK SABHA SPEAKER/सत्रहवीं लोक सभा के 543 सदस्यों में से 540 सदस्यों की सदन में चर्चा में भागीदारी रही: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**WOMEN HAD MAXIMUM REPRESENTATION IN 17TH LOK SABHA AND PARTICIPATED ACTIVELY IN HOUSE PROCEEDINGS: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा में महिलाओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व रहा है और सदन की कार्यवाही में उनकी सक्रय भागीदारी रही: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**OVER 69 PERCENT RECOMMENDATIONS OF PARLIAMENTARY COMMITTEES ACCEPTED BY GOVERNMENT IN 17TH LOK SABHA: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोक सभा में संसदीय समितियों की 69 प्रतिशत से अधिक सफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**DURING THIS LOK SABHA, 5568 MATTERS WERE TAKEN UP UNDER ZERO HOUR: LOK SABHA SPEAKER/ इस लोक सभा के दौरान शून्य काल के अंतर्गत 5568 मामले उठाए गए: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**RS 875 CRORE SAVED DURING 17th LOK SABHA: LOK SABHA SPEAKER/17वीं लोकसभा के दौरान 875 करोड़ रुपये की बचत हुई: लोकसभा अध्यक्ष**

...

## **SEVENTEENTH LOK SABHA HISTORIC IN MANY WAYS: LOK SABHA SPEAKER/सत्रहवीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही: लोकसभा अध्यक्ष**

...

**New Delhi; 10 February, 2024:** The fifteenth Session of the Seventeenth Lok Sabha, which commenced on January 31, 2024, was adjourned sine die today. With this, the Seventeenth Lok Sabha was also adjourned sine die.

On this occasion, presiding over the proceedings of the House, Lok Sabha Speaker Shri Om Birla said that the Seventeenth Lok Sabha, which held its first meeting on June 17, 2019, has been historic in various ways.

Shri Birla said that out of 543 Members of the seventeenth Lok Sabha, 540 Members participated in discussions held in the House. He added that women MPs saw maximum representation in the 17th Lok Sabha and the House also witnessed their active participation in the proceedings.

Speaking about the productivity of the Lok Sabha, Shri Birla said that a total of 274 sittings were held during the 17th Lok Sabha which lasted for a total of 1354 hours. The House sat late for more than 345 hours and completed its business. Shri Birla informed the House lost a total of 387 hours to disruptions. The overall productivity of the 17th Lok Sabha has been around 97 percent which is the highest in the last 5 Lok Sabhas.

Shri Birla further said that the 17th Lok Sabha passed 222 laws. During this period 202 Bills were introduced and 11 Bills were withdrawn by the Government.

Speaking on some of the historic laws passed during the 17th Lok Sabha, Shri Birla said that the Nari Shakti Vandan Bill, 2023 was the first bill to be taken up for discussion in the new building of Parliament and the historic bill was passed on the same day with the support of all parties. Also, the House passed many historic laws such as the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Sakshya Adhinyam, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, Digital Personal Data Protection Bill, Muslim Women (Protection of Marriage Rights) Bill, Consumer Protection Bill, Direct Tax Vivad se Vishwas Bill, Industrial Relations Code etc.

He said that during the 17th Lok Sabha many ineffectual laws from the pre-independence era were repealed and were replaced by new laws. Three

Constitution Amendment Bills were also passed by the House during the term of this Lok Sabha.

Shri Birla informed that during the 17th Lok Sabha, 4663 starred questions were listed, out of which 1116 questions were answered orally. In the same period, 55889 unstarred questions were also asked which received written answers in the House. All the listed starred questions were answered orally on two occasions during this Lok Sabha.

729 Private Members' Bills were introduced in this Lok Sabha. During the 17th Lok Sabha, 26,750 Papers were laid by Ministers.

Shri Birla said that during this Lok Sabha, 5568 matters were taken up under Zero Hour while 4869 matters under Rule 377 were raised by the Members. A total of 161 matters were taken up in one day under Zero Hour on 18 July 2019 and 1066 matters were raised during Zero Hour in the first session of the 17th Lok Sabha, which is a record. For the first time in this Lok Sabha, in order to ensure executive accountability, respective ministries were requested to respond to issues raised during Zero Hour and a good number of responses were received from the ministries concerned.

Shri Birla said that during the 17th Lok Sabha, 534 Statements were made by Ministers on various subjects. 12 Discussions under Rule 193 were also held during this Lok Sabha.

Parliamentary Standing Committees presented a total of 691 reports in this Lok Sabha and more than 69 percent of Committee recommendations were accepted by the Government.

Speaking on innovations undertaken during the 17th Lok Sabha, Shri Birla mentioned about PRISM, Briefing Sessions for Members of Parliament, home delivery of library books to MPs, digitization of proceedings, Mobile app, sharing of MPs' video footage on Whatsapp etc. He said that maximum use of digital technology is being made in parliamentary work while realizing the vision of paperless office in 17th Lok Sabha. Presently more than 97 percent of question notices are being given through electronic medium.

Speaking on the austerity measures in the 17th Lok Sabha, Shri Birla said that during the 17th Lok Sabha savings of around Rs 875 crore was made, which is 23 per cent of the budget of the Secretariat. Canteen subsidy was completely

abolished during this Lok Sabha resulting in an annual saving of around Rs 15 crore. Facade lighting in Samvidhan Sadan and the merger of Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV have led to savings crores of rupees.

Parliamentary delegations from 16 countries visited India during this Lok Sabha. Also, 42 Indian Parliamentary Delegations visited abroad. He said that the active participation in international parliamentary forums is indicative of India's growing stature and prestige at the global level.

**नई दिल्ली; 10 फरवरी, 2024: 31 जनवरी, 2024** को शुरू हुआ सत्रहवीं लोकसभा का पंद्रहवां सत्र आज समाप्त हो गया और इसके साथ ही सत्रहवीं लोकसभा भी समाप्त हुई। इस अवसर पर कार्यवाही की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि सत्रहवीं लोकसभा जिसकी पहली बैठक 17 जून, 2019 को हुई थी कई मायनों में ऐतिहासिक रही।

श्री बिरला ने कहा कि इस सत्रहवीं लोकसभा के 543 सदस्यों में से 540 सदस्यों की सदन में चर्चा में भागीदारी रही। 17वीं लोकसभा में महिलाओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व रहा है और सदन की कार्यवाही में उनकी सक्रिय भागीदारी रही।

लोकसभा की उत्पादकता पर बोलते हुए श्री बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा में कुल मिलाकर 274 बैठकें हुईं जो 1354 घंटे तक चलीं। सदन ने नियत समय से 345 घंटे की अधिक अवधि तक बैठकर अपना कार्य किया। उन्होंने बताया कि इस लोकसभा में व्यवधान के कारण कुल 387 घंटे का समय व्यर्थ हुआ। 17वीं लोकसभा की कुल कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही है जो पछली 5 लोकसभाओं में सबसे अधिक है।

श्री बिरला ने आगे कहा कि 17वीं लोकसभा ने 222 कानून पारित किये। इस अवधि के दौरान 202 विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 11 विधेयकों को सरकार द्वारा वापस लिया गया।

17वीं लोकसभा के दौरान पारित कुछ ऐतिहासिक कानूनों पर बोलते हुए श्री बिरला ने कहा कि संसद के नये भवन के अंदर सर्वप्रथम नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 को चर्चा के लिए लिया गया और सभी दलों के सहयोग से यह ऐतिहासिक विधेयक उसी दिन पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, सदन ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, मुस्लिम महिला (ववाह अधिकार संरक्षण)

वधेयक, उपभोक्ता संरक्षण वधेयक, प्रत्यक्ष कर ववाद से वश्वास वधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता जैसे कई ऐतिहासिक कानून पारित किए गए।

उन्होंने कहा कि 17वीं लोक सभा के दौरान आजादी के पूर्व बनाए गए अनेक अनुपयोगी कानूनों को निरस्त किया गया और आजादी के पूर्व बनाए गए कानूनों के स्थान पर नए कानून बनाए गए। इस लोक सभा की अवधि के दौरान सदन द्वारा तीन संवधान संशोधन वधेयक पारित किए गए।

श्री बिरला ने जानकारी दी कि 17वीं लोक सभा के दौरान 4663 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिसमें 1116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इसी अवधि में 55889 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए जिनके लेखित उत्तर सदन में दिए गए। इस लोक सभा में दो अवसरों पर सूचीबद्ध सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

इस लोक सभा में 729 गैर-सरकारी वधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए। 17वीं लोक सभा के दौरान संवधान मंत्रियों ने 26,750 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

उन्होंने आगे कहा कि इस लोक सभा के दौरान शून्य काल के अंतर्गत 5568 मामले उठाए गए जबकि नियम 377 के अंतर्गत 4869 विषय माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए। दिनांक 18 जुलाई 2019 को शून्य काल के अंतर्गत एक दिन में कुल 161 विषय उठाए गए और 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में शून्य काल में 1066 मामले उठाए गए, जो एक कीर्तिमान है। कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस लोक सभा में पहली बार शून्य काल में उठाए गए विषयों के उत्तर के लिए संवधान मंत्रालयों से अनुरोध किया गया और अधिक के उत्तर संवधान मंत्रालय से प्राप्त हुए।

श्री बिरला ने कहा कि 17वीं लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा विभिन्न विषयों पर 534 वक्तव्य दिए गए। इस लोक सभा के दौरान नियम 193 के अंतर्गत 12 चर्चाएं की गईं।

संसदीय समितियों ने इस लोक सभा में कुल 691 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। संसदीय समितियों की 69 प्रतिशत से अधिक सफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

17वीं लोकसभा में नवाचारों पर बोलते हुए, श्री बिरला ने PRISM, संसद सदस्यों के लिए ब्रीफिंग सत्र, सदस्यों को पुस्तकों की होम डिलीवरी, कार्यवाही का डिजिटलीकरण, मोबाइल App, Whatsapp पर सदस्यों के वीडियो फुटेज की डिलीवरी आदि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 17वीं लोक सभा में पेपरलेस ऑफिस के विजन को साकार करते हुए संसदीय कामकाज में डिजिटल माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 97 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों के नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जा रहे हैं।

17वीं लोकसभा में मत्तव्ययिता उपायों पर बोलते हुए, श्री बिरला ने बताया क पूरी लोकसभा के दौरान लगभग 875 करोड़ रुपये की बचत हुई, जो स चवालय के बजट का 23 प्रतिशत था। इस लोक सभा में इस कैंटीन सब्सिडी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया जिससे लगभग 15 करोड़ रुपये की वा र्षक बचत हुई। सं वधान सभा में फसाड लाइटिंग की ब्यबस्था और लोक सभा टीवी और राज्य सभा टीवी के बिलय से करोड़ों रूपए की बचत हुई।

इस लोक सभा के दौरान भारत में 16 देशों के संसदीय शष्टमंडल का आगमन हुआ। साथ ही देश से 42 शष्टमण्डलों की वदेश यात्रा हुई। उन्होंने कहा क अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंचों पर हमारी स क्रय भागीदारी वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती शक्ति एवं प्रतिष्ठा का परिचायक है।